राजस्व पर्षद, बिहार

संoसंo— 1/स्थाo—13/2016— 994

प्रेषक,

केoकेo पाठक(भाoप्रoसेo),
अपर सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. प्रधान सचिव,
   वित्त विभाग, बिहार, पटना।
2. प्रधान सचिव,
   सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
3. प्रधान सचिव,
   राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
4. सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
5. सभी जिला पदाधिकारी। (किशनगंज को छोड़कर)

पटना, दिनांक— 12-04-2017

विषयः— बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 में संशोधन के संबंध में।
प्रसंगः— पर्षदीय पत्रांक—705(अनुo) दिनांक—15.03.2017.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया निदेश किया जाय।

प्रासंगिक पत्र के साथ बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली में संशोधन से संबंधित प्रश्नावली संलग्न करते हुए उसमें मंतव्य अभिलिखित कर पर्षद को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जो अबतक अप्राप्त है।

अतः पुनः अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली में संशोधन हेतु प्रेषित प्रश्नावली का उत्तर अभिलिखित कर प्रश्नावली के कंडिका—10 में अपने विशिष्ट मंतव्य से पर्षद कार्यालय को निश्चित रूप से अवगत कराने की कृपा की जाय ताकि इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

कृपया शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

अपर सदस्य, 12/4
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

12/04/17

d:\sandeep\deepak sir\file_no_1_stha_13_2016.docx